संख्या 4-5/2015-बीपी-2 (अन्नपूर्णा)

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांक 16 नवम्बर, 2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय : अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत गुजरात सरकार को वर्ष 2015-16 के लिए 1.04.2015 से 30.09.2015 की अवधि तक खाद्यान्नों के आवंटन (गेंहू) के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के समसंखयक आवंटन आदेश दिनांक 28.09.2015 के अनुक्रम व ग्रामीण विकास मंत्रालय के का0 ज्ञा0 संख्या जे-11011/1/2015-एनएसएपी दिनांक 14 नवम्बर, 2015 के अनुक्रम में अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों के लिए लागू केन्द्रीय निर्गम मूल्य पर वर्ष 2015-16 के लिए 1.4.2015 से 30.09.2015 की अवधि तक 2122.620 टन गेंहू @ 357.770 टन गेंहू प्रति माह आवंटन का अनुमोदन संप्रेषित करने का निदेश हुआ है।

2. खाद्यान्नों की लागत जमा करने तथा उठान की वैधता अवधि इस पत्र के जारी होने की तारीख से 50 दिनों तक होगी।

3. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारतीय खाद्य निगम तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों की आबंटित मात्रा के राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार आबंटन की सूचना भी यथासमय प्रेषित करे तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निर्धारित वैधता अवधि के भीतर खाद्यान्नों का उठान सुनिश्चित करे।

4. भारतीय खाद्य निगम, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा 2015-16 के पहली छमाही लिए राज्य को मासिक आबंटन के अनुसार गेहूं जारी करेगा।

5. ग्रामीण विकास मंत्रालय से अनुरोध है कि वह वर्ष 2014-15 के लिए अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत उन्हें आबंटित खाद्यान्नों के संबंध में संबंधित उप सचिव/निदेशक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित समेकित उपयोगिता प्रमाणपत्र निर्धारित जीएफआर-19 ए प्रारुप में प्रस्तुत करें।

6. ग्रामीण विकास मंत्रालय यह सुनिश्चित करें कि इस स्कीम के अंतर्गत उसके द्वारा राज्य को जारी खाद्यान्नों के संबंध में भारतीय खाद्य निगम को पूर्ण भुगतान किया जाए तथा राज्य सरकार द्वारा उसे यथा समय उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाए।

असित

(असित हलदर)

अवर सचिव, अवर सचिव

दूरभाष: 23382504

सेवा में,

उप सचिव (एन.एस.ए.पी)

(श्रीमति रेखा चौहान)

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ब्लॉक संख्या 11, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-3

सूचनार्थ प्रति:

1. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली।